

## आदेश

सचिव आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 279/DM(C) F/14/XV/III-(2)/15(32)/A/2013 दिनांक 18-02-2014 के अनुक्रम में जिलाधिकारी चमोली एतदसन्दर्भित आदेश संख्या-र-4268/तेरह-25 (2012-13) गोपेश्वर दिनांक 19 फरवरी 2014 जिसके द्वारा दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु परगना स्थल पर उप जिलाधिकारियों को परियोजना कियान्वयन ईकाई (पी0आई0यू0) जो " विशेष पुर्ननिर्माण ईकाई " से ज्ञात है को मुख्य कार्य अधिकारी नामित किया गया है।

योजनाओं के प्राकलनों पर पी0आई0यू0 की संस्तुति के आधार निम्न तालिका के अनुसार प्राकलनों पर वित्तीय स्वीकृत प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत लाख में	अवमुक्त धनराशि (80प्रतिशत)	कार्यदायी संस्था	कार्य की आवश्यकता/ महत्व
1	2	3	4	5	6
1	धुनारघाट बाढ़ सुरक्षा कार्य	3.5	2.80	सिचाई विभाग	वर्ष 2013-14 में आपदा में क्षतिग्रस्त होने से।
2	रा0 प्रा0 वि0 लखेडी छत मरम्मत कार्य	2.50	2.00	खण्ड विकास अधिकारी गैरसँण	वर्ष 2013-14 में आपदा में क्षतिग्रस्त होने से।
3	चुराडी गैरसँण पेयजल योजना पुनरोद्धार	2.50	2.00	जलसंस्थान विभाग	वर्ष 2013-14 में आपदा में क्षतिग्रस्त होने से।
	कूल योग-	8.50	6.80		

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1- उक्त प्रस्तावित कार्यों पर 25.00 लाख (पच्चीस लाख) तक कार्य वर्क चार्ज के आधार पर सम्पादित किये जायेंगे। 25.00 लाख (पच्चीस लाख) से 100.00 लाख (एक करोड़) तक कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित की जायेगी एवं उपरोक्त निविदा की अवधि 07 दिन की होगी।
- 2- कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की गुणवता एवं तकनीकी मानकों का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जायेगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था गुणवता के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 3- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य न्यूनतम अवधि में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- 4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त कार्य/योजना की फोटो उपलब्ध करा दी जायेगी। ताकि कार्य की सत्यता की प्रमाणीकरण किया जा सकें।
- 5- किये गये कार्यों का भुगतान करने से पूर्व मानकानुसार कार्य की नाप जोख एवं गुणवता का पूर्ण ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उस धनराशि को तत्काल मुख्य कार्य अधिकारी (पी0आई0यू0) के खाते में एक सप्ताह अन्दर जमा करना आवश्यक होगा।
- 6- आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के तकनीकी अभियन्ता से दरों की प्रमाणिकता अवश्य करा ली जायेगी।
- 7- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि रखते हुए प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों के आंगणन सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

- 8- वर्क चार्ज पर कार्य दिये जाने से पूर्व टेकेदार की क्षमता का आंकलन भली भौति कर लिया जाय।
- 9- कार्यों का आंबटन इस प्रकार किया जाय कि स्वीकृत सभी कार्यों पर कार्य प्रारम्भ साथ-साथ किया जाय तथा समय से सभी कार्य पूर्ण हो सकें।
- 10- प्रत्येक योजना पर 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा मेजरमेण्ट बुक किये गये कार्य के फोटोग्राफस तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
- 11- कार्य पूर्ण होने पर कार्य योजना का नाम लागत दिनांक तथा मद का नाम सीमेण्ट कंकरीट/बोर्ड पर अंकित किया जायेगा। जिसकी पुष्टि में फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 12- कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में प्रत्येक दिन आख्या देवें।

मुख्य कार्याधिकारी(पी0आई0यू0)/  
उप जिलाधिकारी  
गैरसैण।

कार्यालय पी0आई0यू0/उप जिलाधिकारी गैरसैण

संख्या- 03 / पी0आई0यू0/रा0ले0/2014

दिनांक : गैरसैण 26 फरवरी 2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष कार्यदायी संस्था/विभाग।
- 2- तहसीलदार गैरसैण
- 3- खण्ड विकास अधिकारी गैरसैण/उप कोषाधिकारी चमोली
- 4- सहायक अभियन्ता/सदस्य पी0आई0यू0 गैरसैण लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग
- 5- मा0 विधायक अनुसूया प्रसाद मैखुरी .विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग
- 6- जिलाधिकारी चमोली।
- 7- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 8- जिला सूचना विज्ञान केन्द्र चमोली को वेबसाईट पर अपलोड करने हेत।

मुख्य कार्याधिकारी(पी0आई0यू0)/  
उप जिलाधिकारी  
गैरसैण।

कृपया पत्राचार हेतु ई मेल आई डी. [tehsil.gairsain@gmail.com](mailto:tehsil.gairsain@gmail.com)

[uswan.cha.gai@gmail.com](mailto:uswan.cha.gai@gmail.com)